ई–मेल

प्रेषक,

जिला न्यायाधीश,
पीलीभीत।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक 951/ I–2021 दिनांकित : पीलीभीत : अप्रैल 22, 2021

विषय :– श्री बी0पी0सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता की कोविड–19 से मृत्यु होने के कारण दिनांक 23.04.2021 को सेनेटाइजेशन हेतु न्यायालय बन्द किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया माननीय न्यायालय के पत्रांक 1941/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/ Dated: 05.04.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपरोक्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी, पीलीभीत द्वारा गठित त्रिस्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांकित 22.04.2021 के अनुसार श्री बी0पी0 सिंह (अधिवक्ता सिविल बार एसोसियेशन) ने कोविड–19 आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट कराया तथा करोना परीक्षण में धनात्मक पाये गये। श्री बी0पी0सिंह गोदावरी स्टेट, पीलीभीत में निवास करते थे, जिनका रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज, बरेली में उपचार के दौरान दिनांक 22.04.2021 प्रातः देहान्त हो गया। अतः न्यायालय परिसर को सेनेटाइजेशन कार्य हेतु एक दिवस बन्द किये जाने की संस्तुति की जाती है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1941/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/ Dated: 05.04.2021 के बिन्दु सं0 8 व 9 पर विर्निर्दिष्ट निर्देशों तथा त्रिस्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आख्या (छायाप्रति संलग्न) के कम में जिला न्यायालय परिसर, पीलीभीत दिनांक 23.04.2021 को सैनेटाइजेशन हेतु बन्द किये जाने का आदेश (छायाप्रति संलग्न) पारित किया गया।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त सूचना माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

सादर।

भवदीय,

संलग्लक : यथोक्त।

प्रभारी जिला न्यायाधीश,
पीलीभीत
जिला न्यायाधीश
पीलीभीत।

कार्यालय जिला न्यायाधीश, पीलीभीत

संख्या १२५ /2021 दिनांक : अप्रैल 22, 2021

आदेश

महासचिव, जिला संयुक्त बार एसोसियशन, पीलीभीत, महासचिव, सेन्ट्रल बार एसोसियेशन, पीलीभीत एवं अध्यक्ष, सिविल बार एसोसियेशन द्वारा प्रेषित संयुक्त प्रस्ताव दिनांकित 22.04.2021 के द्वारा अवगत कराया गया कि श्री बी0पी0सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता की आज सुवह 4.00 बजे कोविड 19 से मृत्यु हो गयी। दिवंगत अधिवक्ता की पत्नी एवं पुत्र तथा अनेकों और अधिवक्ता संक्रमित हैं, जो लगातार वकालत करने कचहरी, पीलीभीत आ रहे थे, ऐसी स्थिति में बार एसोसियेशन मांग करती है कि संक्रमण की भयंकर स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये कचहरी दो दिन के लिए बन्द कर सम्पूर्ण कचहरी एवं न्याय भवन में सेनेटाइज कराया जाना अति आवश्यक है तथा दो दिन का अवकाश कर न्यायालय बन्द किया जाना भी आवश्यक है ताकि कोविड 19 के संक्रमण से बचा जा सके।

2. जिलाधिकारी, पीलीभीत द्वारा गठित त्रिस्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांकित 22.04.2021 के अनुसार श्री बी0पी0 सिंह (अधिवक्ता सिविल बार एसोसियेशन) ने कोविड–19 आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट कराया तथा करोना परीक्षण में धनात्मक पाये गये। श्री बी0पी0सिंह गोदावरी स्टेट, पीलीभीत में निवास करते थे, जिनका रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज, बरेली में उपचार के दौरान दिनांक 22.04.2021 प्रातः देहान्त हो गया। अतः न्यायालय परिसर को सेनेटाइजेशन कार्य हेतु एक दिवस बन्द किये जाने की संस्तुति की जाती है।

3. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1941/LXXXVII-CPC/e-Courts/ Allahabad/Dated: 05.04.2021 के बिन्दु सं0 8 व 9 पर निम्नलिखित दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं :–

> 8- Where the District Administration/CMO concerned is of the opinion that the District/Outlying Court Campus should be closed for a particular period and/or the District Judge/Principal Judge, Family Court, Presiding Officer, Commercial Court/Land Acquisition, Rehab & Resettlement Authority/Motor Accident Claims Tribunals concern is of the opinion that the concerned Court/Court Campus should be closed for particular period, then such Court/Court campus may be closed for the said period and an intimation mentioning the specific reasons may be sent to Allahabad High Court.
>
> 9- Before opening of campus, District Judge/Principal Judge, Family Court, Presiding Officer, Commercial Court/Land Aqui, Rehab & Resettlement Authority/Motor Accident Claims Tribunals concern shall ensure compete sanitization (strictly as per medical guidelines),cleaning of entire court campus with the help of District Magistrate, other administrative officers & CMO/CMS. District Authorities shall ensure Sanitization of Campus daily.

4. मेरी राय में मुख्य चिकित्साधिकारी, पीलीभीत द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त संस्तुति आख्या के कम व माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में जिला न्यायालय परिसर, पीलीभीत दिनांक 23.04.2021 को सैनेटाइजेशन हेतु बन्द किया जाना आवश्यक है। अतः दिनांक 23.04.2021 को जिला न्यायालय परिसर, पीलीभीत सेनेटाइजेशन कार्य हेतु बन्द किया जाता है। उपरोक्त तिथि में बाह्य न्यायालय, बीसलपुर यथावत कियाशील रहेगा।

5. मुख्यालय पर कार्यरत समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 23.04.2021 को नियत समस्त वादों में सामान्य तिथि नियत किया जाना सुनिश्चित किया जाये

और इसकी सूचना कम्प्यूटर अनुभाग को दी जाये जो उसे न्यायालय की बेबसाइट पर अपलोड करे।

6. प्रभारी अधिकारी नजारत, जिला न्यायालय, पीलीभीत को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 23.04.2021 को समस्त न्यायालय परिसर, न्यायालय कक्ष, विश्राम कक्ष, कार्यालय एवं बार परिसरों का सैनेटाइजेशन कार्य अपनी देखरेख में कराया जाना सुनिश्चित करें। दिनांक 24.04.2021 को चतुर्थ शनिवार होने के कारण न्यायिक अधिकारीगण हेतु अवकाश नियत है एवं समस्त कर्मचारीगण यथावत् उपस्थित रहेंगें। अतः प्रभारी अधिकारी, नजारत, जिला न्यायालय, पीलीभीत को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 24.04.2021 को न्यायालय खोले जाने से पूर्व भी समस्त न्यायालय परिसर, न्यायालय कक्ष, विश्राम कक्ष, कार्यालय एवं बार परिसरों का सैनेटाइजेशन कराया जाना सुनिश्चित करें।

7. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त न्यायालय बन्दी के दिवस में रिमाण्ड कार्य अवकाश के दिवसों की भांति करना सुनिश्चित करें।

8. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पीलीभीत को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आदेश का दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराना एवं अन्य प्रकार से प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

9. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स, जिला न्यायालय, पीलीभीत को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त आदेश जिला न्यायालय, पीलीभीत की बेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।

10. समस्त सम्बन्धित सूचित हों। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचना प्रेषित की जाये।

दिनांक : अप्रैल 22, 2021

(अभिषेक पाण्डेय),
प्रभारी जिला न्यायाधीश,
पीलीभीत

पत्रांक /प्रशा0–2021 , दिनांकित : अप्रैल 22, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पीलीभीत।
2. पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना याचिका प्राधिकरण, पीलीभीत।
3. प्रभारी अधिकारी, नजारत, जिला न्यायालय, पीलीभीत
4. नोडल अधिकारी (कम्प्यूटर्स), जिला न्यायालय, पीलीभीत
5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत
6. सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय, पीलीभीत
7. जिलाधिकारी, पीलीभीत।
8. पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत।
9. जेल अधीक्षक, पीलीभीत।
10. मुख्य चिकित्साधिकारी, पीलीभीत।
11. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पीलीभीत।
12. अध्यक्ष/सचिव, जिला संयुक्त बार एसोसियेशन, पीलीभीत।
13. अध्यक्ष/सचिव, सिविल बार एसोसियेशन, पीलीभीत।
14. अध्यक्ष/सचिव, सेन्ट्रल बार एसोसियेशन, पीलीभीत।

प्रभारी जिला न्यायाधीश,
पीलीभीत

289 – 22/04/21

दिनांकः–22/04/2021

जिला न्यायाधीश महोदय,
पीलीभीत।
महोदय,

सादर! जनपद न्यायाधीश, पीलीभीत के आदे"ा सं0–102/2020 दिनॉक 05–05–2020 एवं उस पर आपके पृष्ठॉकन दिनॉक 06–05–2020 जिसके द्वारा जनपद न्यायाधीश, महोदय ने माननीय न्यायालय में प्रवे"ा करने वाले व्यक्तियों का प्रतिदिन थर्मल स्केनिंग चेकअप कराये जाने एवं दिनॉक 07–05–2020 को सॉय 05:00 बजे तक माननीय न्यायालय परिसर,न्यायालय कक्ष एवं बिश्राम कक्ष तथा कार्यालय की साफ–सफाई ,सेनेटाइजशन का कार्य सम्पादित कराने तथा उक्त कार्य प्रतिदिन सम्पादित कराये जाने तथा दिनॉक 08–05–2020 से प्रत्येक दिन सॉय 04:00 बजे जनपद पीलीभीत में कोरोना के खतरे एवं स्थिति के सम्बन्ध में रिर्पोट उपलब्ध कराये जाने के आदे"ा निर्गत किये गये हैं।

जनपद न्यायाधीश, महोदय द्वारा निर्गत उक्त आदे"ाो के कम में आख्या निम्नवत आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है:–

कोरोना–19 से सम्बन्धित आख्या

माननीय न्यायालय में प्रवे"ा करने वले व्यक्तियें के थर्मल स्केनिंग की संख्या	माननीय न्यायालय परिसर,न्यायालय कक्ष एवं बिश्रम कक्ष तथा कार्यालय की साफ–सफई सेनेटाइजेशन का कार्य	जनपद पीलीभीत में अब तक कुल कितने कोविड–19 के सैम्पल हुये	कुल कोरोना पॉजीटिव की संख्या	कोविड–19 के सक्रिय केसेस	कोविड–19 के रिकवर्ड केसेस	Deaths	कुल कोरोना निगेटिव की संख्या	कितने व्यक्तियों की रिपोर्ट आना शेष है।	जनपद में आये विदे"ाी यात्रियों की संख्या	शि से आये व्यक्तियों की संख्या जो ट्रेस नहीं हो सके।	अन्य राज्यों एवं प्रदे"ा के अन्य जनपदों से आने वाले व्यक्तियों की संख्या जिन्हें होम कोरेन्टाइन किया गया है	विभागीय कोरेन्टाइन की संख्या	जनपद में कुल कंटेनमेन्ट जोन क्षेत्र की संख्या
92	Yes	393773	4987	612	4282	93	385911	2875	911	06	00	00	380

नोट– जनपद न्यायालय परिसर पीलीभीत तथा न्यायालय बीसलपुर परिसर कंटेनमेंट जोन में नही है ।

–श्री बी0पी0सिंह (अधिवक्ता सिविल बार एसोसियेशन) ने कोविड–19 आर0टी0पी0सी0आर0 टैस्ट कराया तथा कोरोना परीक्षण में धनात्मक पाये गय श्री बी0पी0सिंह गोदावरी स्टेट पीलीभीत में निवास करते थें जिनका रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज बरेली में उपचार के दौरान दिनांक 22.04.2021 प्रातः देहान्त हो गया ।

अतः **न्यायालय परिसर को सेनेटाईजेशन कार्य करने की संस्तुति की जाती है ।**

अपर पुलिस अधीक्षक
पीलीभीत।

अपर जिला अधिकारी (वि0/रा0)
पीलीभीत।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
पीलीभीत।

पत्रांक संख्याः– मु0चि0अ0/को0वाय–2019/दैनिक सूचना/2021–22/
तददिनांक

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
1–जिला अधिकारी महोदय, पीलीभीत ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
पीलीभीत।

SEEN
I/c District Judge
PILIBHIT
22/04/2021

पंजीकरण सं.: 813/2005–06

बार को. सम्बद्धीकरण सं.: 1/2013

जिला संयुक्त बार एसोसिएशन, पीलीभीत

अध्यक्ष
बाबूराम शर्मा
(एडवोकेट)
मो. 9412134471

महासचिव
कुलदीप अवस्थी
(एडवोकेट)
मो. 9837746132

ADVOCATE

पत्रांक.

दिनांक 22-04-2021

आज दिनांक 22-4-21 समय 11 बजे दिन जिला संयुक्त एसोसियशान पीलीभीत हाल में एसोसिएशन के अध्यक्ष बाबूराम शर्मा की अध्यक्षता में शोक सभा हुयी । शोक सभा में पीलीभीत कचहरी के निरन्तर वकालत करने आ रहे श्री बी०पी०सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता की आज सुबह 4 बजे कोविड19 से मृत्यु हो गयी पर गहरा दुख एंव शोक व्यक्त किया गया और दो मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करने एंव परिवार को इस असीम आघात को सहन करने की शान्ति प्रदान करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना की गयी दिवंगत अधिवक्ता की पत्नी एंव पुत्र तथा अनेको और अधिवक्ता संक्रमित है जो लगातार वकालत करने कचहरी पीलीभीत आ रहे थे ऐसी स्थिति में बार एसो०मांग करती है कि संक्रमण की भंयकर स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कचहरी दो दिन के लिए बन्द कर सम्पूर्ण कचहरी एंव न्याय भवन में सैनेटाइज कराया जाना अति आवश्यक है तथा दो दिन का अवकाश कर न्यायालय बन्द किया जाना भी आवश्यक है ताकि कोविड 19 संक्रमण से बचाव हो सके ।

कुलदीप अवस्थी
एडवोकेट
महासचिव
जिला संयुक्त वार एसोसियेशन
पीलीभीत–9837746132

महासचिव
सेन्ट्रल वार एसोसियेशन
पीलीभीत

अध्यक्ष
सिविल बार एसो
पीलीभीत

SEEN
I/c District Judge
PILIBHIT
22/04/2021